कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक-25.01.2024

थाना सिगरा पुलिस द्वारा व्यापारी से 50 लाख रूपये की रंगदारी मांगने वाले अभियुक्तों को मय घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटर साइकिल व 03 अदद मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी जोन, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के कुशल नेतृत्व में थाना सिगरा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 0022/2024 धारा 386 भा0द0वि0 थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. पंकज पाठक पुत्र उमेश पाठक निवासी म0न0 सी0के0 40/30 घुघरानी गली बास फाटक थाना चौक जनपद वाराणसी उम्र करीब 27 वर्ष, 2. प्रताप घोष पुत्र स्व0 संजय घोष निवासी म0न0 एऩ 14/20 ए0के0 किरहिया खोजवा सरायनन्दन थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष को ब्राडवे होटल के सामने कीनाराम बाबा स्थल थाना क्षेत्र भेलूपुर कमि0 वाराणसी से समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरणः-

आवेदक श्री अंकित मेहरा पुत्र श्री सतीश मेहरा निवासी म0न0 D 63/12, पंचशील नगर कालोनी, महमूरगंज थाना सिगरा जनपद वाराणसी द्वारा दिनांक 24/01/2024 को इस आशय की सूचना दिया कि दिनाक 17/01/24 को दो अज्ञात मोबाइल नम्बर XXXX843339 व XXXX768943 से आवेदक व मेरी पत्नी के मोबाइल नंबरो पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गयी। न देने पर आवेदक तथा उसके परिवार को गोली मारकर हत्या करने की बात कही गयी है ,जिससे पूरा परिवार सहम व घबरा गया था उक्त सूचना के आधार पर थाना सिगरा कमि0 वाराणसी पर मु0अ0सं0 0022/2024 धारा 386 भा0द0वि0 दिनांक 24/01/2024 को पंजीकृत किया गया है।

घटना के अनावरण का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 17/1/2024 से दिनांक 24/01/2024 तक लगातार आवेदक श्री अंकित मेहरा पुत्र श्री सतीश मेहरा उपरोक्त के मो0न0 पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मो0न0 XXXX843339 व XXXX768943 से फोन करके 50 लाख रूपये की रंगदारी मांगी गयी थी कहा गया था कि पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देगें। जिसके सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक सिगरा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर उच्चाधिकारियों के निर्देशन में घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम गठित कर घटना में संलिप्त आरोपियों कि गिरफ्तारी हेतु लगाया था, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 25/01/24 को समय करीब 10.00 बजे वादी के मोबाइल पर फोन आया कि जो रूपये तुम्हें बताया गया था तैयार करके रखने के लिए वह पैसा अपने नौकर राम सिंह से रामनगर भेजवाओ। नौकर डमी रूपये लेकर निकला रास्ते में उक्त गठित पुलिस टीम का सिपाही अनुप कुशवाहा उक्त नौकर को रास्ते में रोककर उसका ड्रेस स्वंय पहनकर नौकर के भेष में उक्त डमी रूपये लेकर रामनगर कि तरफ निकला और नौकर के मोबाइल से सिपाही उक्त अज्ञात लोगों से बात करते हुए रामनगर कि तरफ जा रहा था तभी अज्ञात अपराधियों द्वारा फोन करके बताया कि तुम ब्राडवे होटल के पास पहुँचो। जहाँ पर अपराधी व नौकर के वेशभूषा में सिपाही मिले और रूपयों का लेन देन हो रहा था कि तब तक गठित पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँच कर उक्त अपराधियों को पकड़ लिया गया। जिसको गिरफ्तार कर थाना सिगरा लाकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सम्बन्धित अभियोगः-

मु0अ0स0 0022/2024 धारा 386 भा0द0वि0 थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता व उम्रः-

1. पंकज पाठक पुत्र उमेश पाठक निवासी म0न0 सी0के0 40/30 घुघरानी गली बास फाटक थाना चौक जनपद वाराणसी उम्र करीब 27 वर्ष।

2. प्रताप घोष पुत्र स्व0 संजय घोष निवासी म0न0 एऩ 14/20 ए0के0 किरहिया खोजवा सरायनन्दन थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- स्थान- ब्राडवे होटल के सामने कीनाराम बाबा स्थल थाना क्षेत्र भेलूपुर कमि0 वाराणसी , दिनांक 25.01.2024, समय करीब 11.50 बजे।

बरामदगी का विवरण-

1- 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन।

2- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल अपाचे आरटीआर रजिस्ट्रेशन नं0 UP 65 DN 5828 रंग सफेद व काला।

3- एक बोरे में 50 लाख (डमी रूपया)।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तगणों के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री राजू सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 अरूण प्रताप सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 सतेश राय सर्विलांस सेल कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 अभय नरायण सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे0का0 राकेश सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
6. का0 अनुप कुशवाहा थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 चिन्ताहरण तिवारी थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
कार्यालय पुलिस उपायुक्त,
जोन-काशी, कमिश्नरेट वाराणसी।

नोटः-

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु **श्रीमान् पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री आर0एस0 गौतम महोदय द्वारा 20,000/-रू0** पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।